न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 35 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

किशनसिंह पिता पहाड़सिंह जी चौहान, निवासी पालडी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, फास्टट्रेक गिर्वा
दिनांक 10.07.2017, प्र.सं. 4/2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक UIT
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 31–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पालडी में आराजी नंबर 911 रकबा 0.2400 हैक्टर एवं आराजी नंबर 915 / 2067 रकबा 0.3350 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी का 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा पत्थर की कोट बना रखी है, किन्तु विपक्षीगण उसे मौके से बेदखल करना चाहते हैं। अतः विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 10–07–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज

कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन देरी के कारणों को उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया एवं ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत में करीब 50 दिन का विलम्ब हुआ है, तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। फिर भी अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में मूल दावे के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 181/2017 सारहीन होने से खारिज की जा चुकी है। अतः अब प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। तद्नुसार अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10–07–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.06 12:14:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: